कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-08/2024 **दिनांक 31/08/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्य़ाःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 30.08.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 29.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2746/2011 धारा 354,504,506 भादवि व 3(1)11 एससी/एसटी एक्ट, से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त अनुज कुमार श्रीवास्तव पुत्र त्रिभुवन लाल श्रीवास्तव निवासी वकील बाडी थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा 354 भादवि में 2 वर्ष साधारण कारावास, धारा 504 भादवि में 03 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास व धारा 3(1)11 एससी/एसटी एक्ट में 02 वर्ष के साधारण कारावास व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

02. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 29.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना दुल्लहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 403/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त मानिक राम पुत्र दसई राम निवासी ग्राम गुम्मा थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जेल में बितायी गयी अवधि व 2500रू0 जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना जमा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

03. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 29.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बरेसर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/1996 धारा 323,336,504,506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त रमाशंकर पुत्र रामसकल निवासी बरेसर खास थाना बरेसर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा 323 भादवि में 200 रु0, 336 भादवि में 50 रु0, 504 भादवि में 100 रु0 व 506 भादवि में 200 रु0 के अर्थदण्ड, तथा न्यायालय के उठने तक कि सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर